न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 38/2024

वादीगण :–

1. पुखाराम पुत्र घीसाराम
2. महेन्द्र कुमार पुत्र घीसाराम जातियान जाट निवासीगण खोजों की ढाणी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. भंवराई पत्नी दुर्गाराम पुत्री घीसाराम जाति जाट निवासी खोजों की ढाणी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवास ग्राम डिगरना, तहसील जैतारण जिला ब्यावर
4. रामप्यारी पत्नी कानाराम पुत्री घीसाराम जाति जाट निवासी खोजों की ढाणी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हालनिवास सियागों का बास ग्राम मालावास तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. घीसाराम पुत्र स्व. चौथाराम जाति जाट निवासी खोजों की ढाणी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. रामचन्द्र पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) एवं पदेन उप पंजीयक बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु

उपस्थितिः–वादीगण – श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 व 2 – स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी सं. 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः–** 21/04/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 उपरोक्त पते पर निवास करते है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का धर्म हिन्दू है। राजस्व ग्राम पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2238/2090 रकबा 3.2093 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 2241/2089 रकबा 1.2135 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 2239/2090 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा संख्या 2237/2090 रकबा 1.6043 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 2240/2089 रकबा 0.6068 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। जिसके खाता संख्या क्रमशः 769, 770, 605 व 771 चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार है। जिसे वाद पत्र के आगे के पर्दो में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। चालु जमाबन्दी में दर्ज खसरा संख्या 2238/2090 में प्रतिवादी संख्या 2 के 1/6 हिस्से की भूमि, खसरा संख्या 2241/2089 में प्रतिवादी संख्या 2 के 1/6 हिस्से की भूमि व खसरा संख्या 2239/2090 में प्रतिवादी संख्या 2 के 1/9 हिस्से की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा, अविभाजित व सयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी भूमि है। जिसे वाद पत्र के आगे के पर्दो में वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वंशावली वृक्ष वाद के पैरा सं. 3 के अनुसार है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उपरोक्त वंशावली वृक्ष के अनुसार चौथाराम वादीगण के दादा थे. जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा चौथाराम के वारिस घीसाराम, मोहनराम, नारायणराम पिसरान चौथाराम है। घीसाराम वादीगण के पिता है, जो प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 है। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि के पूर्व में खसरा संख्या 2089 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा व खसरा संख्या 2090 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा थे तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के दादा चौथाराम पुत्र रूघाराम व अन्य दर्ज सहखातेदार लखाराम, माधूराम, मुकनाराम पिसरान शिम्भूराम व पूसाराम पुत्र नैनाराम की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि थी। जिसमें वादीगण के दादा चौथाराम का 1/3 हिस्सा निहित व दर्ज था। वादीगण के दादा चौथाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 878 द्वारा चौथाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम व नारायणराम, मोहनराम पिसरान चौथाराम दर्ज किया गया। इस प्रकार वादीगण के पिता घीसाराम को वादीगण के दादा चौथाराम फौत होने पर जरिये उतराधिकार 1/9 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम को निहित 1/9 वां हिस्सा की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी व संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी भूमि है, जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का महेन्द्र के सयुक्त कब्जा काश्त है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उक्त पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि का आज दिन तक बंटवाड़ा नहीं हुआ है, यानि पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि अविभाजित भूमि है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम के पुत्र व पुत्री होने से व स्व, चौथाराम के पौत्र व पौत्री होने से व सहदायी होने से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम को जरिये उतराधिकार निहित 1/9 वां हिस्से की भूमि में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण का जन्म से ही प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के निहित 1/9 वां हिस्से की पुश्तैनी भूमि में प्रत्येक वादीगण का व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 वां हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित व बनता है तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण का 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/45 वां हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित व बनता है। वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित उपरोक्त हिस्सा वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही है, जबकि वादीगण उपरोक्त निहित हिस्सा की खातेदारी हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादीगण को उनके निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्से के सम्बंध में खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 वां हिस्सा की पुश्तैनी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उनके नाम दर्ज होने की जानकारी प्रतिवादी संख्या 2 को होने पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की भोली प्रवृति व नशे की प्रवृति का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को बहला फुसलाकर प्रतिवादी संख्या 1 को बिना प्रतिफल दिये ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 वां हिस्से की सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि का रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 से अपने पक्ष में करवा दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये उत्तराधिकार दर्ज 1/9 वां हिस्से की सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.10.2013 के आधार पर जरिये म्यूटेशन संख्या 1319 द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपने

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

नाम दर्ज करवा दी, तब से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 वां हिस्से की सम्पूर्ण भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज चली आ रही है तथा चालु जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णितानुसार हिस्सों के अनुसार दर्ज है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 वां हिस्सा की पुश्तैनी भूमि में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार 1/5 वां हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/45 वां हिस्सा ही निहित व बनता है तथा कानूनन प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 1/45 वां हिस्सा की भूमि ही प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान करने का अधिकार था, फिर भी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्से की भूमि का बैचान भी रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.10.2013 द्वारा अपने पक्ष में करवा दिया। जबकि कानूनन न तो प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान करने का अधिकार था व न ही प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्से की भूमि का वैचान अपने पक्ष में करवाने का अ/ाकार था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्से के सम्बंध में करवाया गया उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा वादीगण के निहित हिस्से के सम्बं/ा में शून्य, अवैध व अप्रभावी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के निहित 1/45- 1/45-1/45-1/45 हिस्से के सम्बं/ा में करवाये गये उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा से प्रत्येक वादीगण के सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्सा के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकार समाप्त नही होते है व न ही प्रतिवादी संख्या 2 को वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में करवाये गये उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से बाबत् वादीगण के कब्जा काश्त में कानूनन किसी प्रकार से दखल करने का अधिकार है। राजस्व न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में करवाये गये उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा को वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में शून्य, अवैध व अप्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा को बिना निरस्त करवाये राजस्व न्यायालय को वादीगण की पुश्तैनी, संयुक्त कब्जा काश्तसुदा, अविभाजित व संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी भूमि में वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्से के सम्बंध में खातेदार घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रत्येक वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्सा के सम्बंध में करवाये गये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.10.2013 को प्रत्येक वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्सा के सम्बंध में शून्य, अवैध व अप्रभावी घोषित किया जकार वादीगण को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.10.2013 के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 1319 द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीगण को दिनांक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
विराटनगर

16.03.2024 को इस आशय की धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 2 वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी में उसके नाम दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि को आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगा तथा वादीगण को वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में जरिये उतराधिकार निहित हिस्से पर वादीगण के कब्जे काश्त से वादीगण को जबरन बेदखल कर देंगा। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि वादीगण की पुश्तैनी, सयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी, अविभाजित व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि होने से वादीगण का भी वाद पत्र के पद संख्या 4 में वर्णितानुसार हिस्सा निहित है इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 को वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण करने तथा वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में वादीगण के निहित हिस्से की भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादी संख्या 2 वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि को आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगा जिससे वादीगण वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में निहित हिस्से से वंचित हो जायेंगे तथा वादीगण का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी तथा वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/3 वां हिस्सा पूर्व में वादीगण के दादा चौथाराम के नाम दर्ज होने से, वादीगण के दादा चौथाराम फौत होने पर उपरोक्त हिस्सा की भूमि चौथाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम, मोहनलाल, नारायणराम के नाम दर्ज होने से, प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम वादीगण के पित्ता होने से तथा वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम को वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार 1/9 वां हिस्सा दर्ज होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम को जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 वां हिस्से की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी, संयुक्त कब्जा काश्तसुदा, अविभाजित व संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी भूमि होने से, वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम के पुत्र व पुत्री व स्व. चौथाराम के पौत्र व पौत्री होने से व सहदायी होने से वादीगण का भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 वां हिस्से की भूमि में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार जन्म से ही बराबर हक व अधिकार प्राप्त होने से यानि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये उत्तराधिकार दर्ज 1/9 वां हिस्से की भूमि में प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5-1/5-1/5 वां हिस्सा तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रत्येक वादीगण को 1/45-1/45-1/45-1/45 वां हिस्सा निहित होने से, वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से की भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने से. जबकि वादीगण निहित हिस्से की खातेदारी कानूनन अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी होने से, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.10.2013 को अपने पक्ष में करवाने से तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में शून्य, अवैध व अप्रभावी होने से, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपने नाम दर्ज होने के आधार पर दिनांक 16.03.2024 को वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि को आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने की धमकी वादीगण को देने तथा वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में वादीगण के निहित हिस्से की भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकिया देने से बमुकाम् ग्राम पटेलनगर, तहसील

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी

बिलाड़ा में पैदा हुआ। जो सतत् जारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज अन्य सहखातेदार को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है, क्योकि वादीगण द्वारा उनके दर्ज हिस्से की भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत वाद में किसी भी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है। इसलिए वो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नही है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2238/2090 रकबा 3.2093 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5-1/5-1/5 वां हिस्से का, खसरा संख्या 2241/2089 रकबा 1.2135 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5-1/5-1/5 वां हिस्से का तथा खसरा संख्या 2239/2090 रकबा 0.1375 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/9 वां हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5-1/5-1/5 वां हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि में से घोषित खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे व न किसी अन्य से करावे। अन्य दादरसी जो वादी के हित में हो सादिर फरमावे ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से स्वयं या उनके प्रतिनिधि में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 3 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित हुए जिसके प्रमाण के रूप में आदेशिका में प्रतिवादी सं. 1 के हस्ताक्षर करवाये गये। वादीगण 1. पुखाराम पुत्र श्री घीसाराम, 2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री घीसाराम, जातियान जाट, निवासीगण खोजो की ढाणी ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. 3. भंवराई पत्नी श्री दुर्गाराम पुत्री श्री घीसाराम, जाति जाट निवासी खोजो की ढाणी, ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर हालनिवास ग्राम डिगरना, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राज. 4. रामप्यारी पत्नी श्री कानाराम पुत्री श्री घीसाराम, जाति जाट निवासी खोजो की ढाणी, ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर हालनिवास सियागों का बास ग्राम मालावास, तहसील पीपाड़शहर, जिला जोधपुर राज. व प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम पुत्र स्व. श्री चौथाराम, आयु 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी खोजो की ढाणी ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2238/2090 रकबा 3.2093 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 2241/2089 रकबा 1.2135 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 2239/2090 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा संख्या 2237/2090 रकबा 1.6043 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 2240/2089 रकबा 0.6068 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। जिसके खाता संख्या क्रमशः 769, 770, 605 व 771 चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार है। चालु जमाबन्दी में दर्ज खसरा संख्या 2238/2090 में प्रतिवादी संख्या 2 के 1/6 हिस्से की भूमि, खसरा संख्या 2241/2089

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

में प्रतिवादी संख्या 2 के 1/6 हिस्से की भूमि व खसरा संख्या 2239/2090 में प्रतिवादी संख्या 2 के 1/9 हिस्से की भूमि हम वादीगण व मुझ प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी, सयुक्त कब्जा काश्तसुवा, अविभाजित व सयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी भूमि है। हम वादीगण व मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का वंशावली वृक्ष वाद पत्र के पद संख्या 3 में वर्णितानुसार है। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि के पूर्व में खसरा संख्या 2089 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा व खसरा संख्या 2090 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा थे तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में हम वादीगण के दादा चौथाराम पुत्र रूघाराम व अन्य दर्ज सहखातेदार लखाराम, माधूराम, मुकनाराम पिसरान शिम्भूराम व पूसाराम पुत्र नैनाराम की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि थी। जिसमें हम वादीगण के दादा चौथाराम का 1/3 हिस्सा निहित व दर्ज था। हम वादीगण के दादा चौथाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 878 द्वारा चौथाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में हम वादीगण के पिताध्मुझ प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम व नारायणराम, मोहनराम पिसरान चौथाराम दर्ज किया गया। इस प्रकार हम वादीगण के पिताध्मुझ प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम को हम वादीगण के दादा चौथाराम फौत होने पर जरिये उतराधिकार 1/९ व० हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम को निहित 1/9 व० हिस्सा की भूमि हम वादीगण व मुझ प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी व संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी भूमि है, जिस पर हम वादीगण व मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का सयुक्त कब्जा काश्त है तथा हम वादीगण व मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उक्त पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि का आज दिन तक बंटवाड़ा नही हुआ है, यानि पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि अविभाजित भूमि है। हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम के पुत्र व पुत्री होने से व स्व. चौथाराम के पौत्र व पौत्री होने से व सहदायी होने से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम को जरिये उतराधिकार निहित 1/9 व० हिस्से की भूमि में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार हम वादीगण का जन्म से ही प्रतिवादी संख्या 1 के बराबर हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के निहित 1/9 व० हिस्से की पुश्तैनी भूमि में प्रत्येक हम वादीगण का व मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 व० हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित व बनता है तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक हम वादीगण का 1/45-1/45- 1/45-1/45 व० हिस्सा व मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का 1/45 व० हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित व बनता है। हम वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित उपरोक्त हिस्सा हम वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही है, जबकि हम वादीगण उपरोक्त निहित हिस्सा की खातेदारी हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि में से हम वादीगण को हमारे निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 व० हिस्से के सम्बंध में खातेदार घोषित किये जाने हेतु वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। हम वादीगण के पिता/मुझ प्रतिवादी संख्या 1 घीसाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 व० हिस्सा की पुश्तैनी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मेरे नाम दर्ज होने की जानकारी प्रतिवादी संख्या 2 को होने पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 की भोली प्रवृति व नशे की प्रवृति का नाजायज फायदा उठाते हुए मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को बहला फुसलाकर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को बिना प्रतिफल दिये ही मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 व० हिस्से की सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि का रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी

10.2013 को मुझ प्रतिवादी संख्या 1 से अपने पक्ष में करवा दिया तथा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 व० हिस्से की सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.10.2013 के आधार पर जरिये म्यूटेशन संख्या 1319 द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपने नाम दर्ज करवा दी, तब से मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 व० हिस्से की सम्पूर्ण भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज चली आ रही है तथा चालु जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णितानुसार हिस्सों के अनुसार दर्ज है। जबकि मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का जरिये उतराधिकार दर्ज 1/9 व० हिस्सा की पुश्तैनी भूमि में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार 1/5 व० हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/45 व० हिस्सा ही निहित व बनता है तथा कानूनन मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 1/45 व० हिस्सा की भूमि ही प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान करने का अधिकार था, फिर भी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 व० हिस्से की भूमि का बैचान भी रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.10.2013 द्वारा अपने पक्ष में करवा दिया। जबकि कानूनन न तो मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 व० हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान करने का अधिकार था व न ही प्रतिवादी संख्या 2 को मुझ प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 व० हिस्से की भूमि का बैचान अपने पक्ष में करवाने का अधिकार था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 व० हिस्से के सम्बंध में करवाया गया उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा वादीगण के निहित हिस्से के सम्बंध में शून्य, अवैध व अप्रभावी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 हिस्से के सम्बंध में करवाये गये उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा से प्रत्येक वादीगण के सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 व० हिस्सा के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकार समाप्त नही होते है व न ही प्रतिवादी संख्या 2 को वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में करवाये गये उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से बाबत् वादीगण के कब्जा काश्त में कानूनन किसी प्रकार से दखल करने का अधिकार है। राजस्व न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में करवाये गये उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा को वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में शून्य, अवैध व अप्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा को बिना निरस्त करवाये राजस्व न्यायालय को वादीगण की पुश्तैनी, संयुक्त कब्जा काश्तसुदा, अविभाजित व संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी भूमि में वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 व० हिस्से के सम्बंध में खातेदार घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रत्येक वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 व० हिस्सा के सम्बंध में करवाये गये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.10.2013 को प्रत्येक वादीगण के निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 व० हिस्सा के सम्बंध में शून्य, अवैध व अप्रभावी घोषित किया जाकर वादीगण को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से निहित 1/45-1/45-1/45-1/45 व० हिस्सा का खातेदार काश्तकार

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

घोषित किया जावे। इस हेतु मुझ प्रतिवादी संख्या 1 इस राजीनामा के जरिये सहमत हूँ। रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 23.10.2013 के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 1319 द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीगण को दिनांक 16.03.2024 को इस आशय की धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 2 वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी में उसके नाम दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि को आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगा तथा हम वादीगण को वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में जरिये उत्तराधिकार निहित हिस्से पर हम वादीगण के कब्जे काश्त से हम वादीगण को जबरन बेदखल कर देंगा। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि हम वादीगण की पुश्तैनी, सयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी, अविभाजित व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि होने से हम वादीगण का भी वाद पत्र के पद संख्या 4 में वर्णितानुसार हिस्सा निहित है इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 को वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण करने तथा वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में हम वादीगण के निहित हिस्से की भूमि से हम वादीगण को जबरन बेदखल करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। यदि प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादी संख्या 2 वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि को आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगा जिससे हम वादीगण वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में निहित हिस्से से वंचित हो जायेंगे तथा हम वादीगण का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी तथा हम वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इस हेतु मुझ प्रतिवादी संख्या 1 इस राजीनामा के जरिये सहमत हूँ।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा के आधार पर राजस्व ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2238/2090 रकबा 3.2093 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्से में से हम प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5-1/5-1/5 वां हिस्से का, खसरा संख्या 2241/2089 रकबा 1.2135 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्से में से हम प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5-1/5-1/5 वां हिस्से का तथा खसरा संख्या 2239/2090 रकबा 0.1375 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/9 वां हिस्से में से हम प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5-1/5-1/5 वां हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी भूमि हम वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो हम वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि में से घोषित खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे व न किसी अन्य से करावे। मुताबिक राजीनामा के अनुसार उक्त आदेश/डिक्री पारित किये जाने में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है अपितु मुझ प्रतिवादी संख्या 1 इस राजीनामा के जरिये सहमत हूँ।

सहायक कलक्टर

पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पुनः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित दोनो ही पक्षों को राजीनामा

पढकर सुनाया गया, दोनो ही पक्षों ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान वादीगण अधिवक्ता मदनलाल चौधरी द्वारा दी गयी तथा प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका में हस्ताक्षर करवाये गये एवं अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं कोर्ट की भावना से उक्त राजीनामें के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को पूर्व में तस्दीक किया गया। पत्रावली में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। दोनो पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादीगण का दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2238/2090 रकबा 3.2093 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5-1/5-1/5 वां हिस्से का, खसरा संख्या 2241/2089 रकबा 1.2135 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5-1/5-1/5 वां हिस्से का तथा खसरा संख्या 2239/2090 रकबा 0.1375 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/9 वां हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5-1/5-1/5 वां हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–
पुखाराम घीसाराम वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु

राजस्व वाद संख्या :– 38/2024

दिनांक :– 21/04/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी सं. 1 से 4 तथा प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2238/2090 रकबा 3.2093 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/5–1/5–1/5–1/5 वां हिस्से का, खसरा संख्या 2241/2089 रकबा 1.2135 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/5–1/5–1/5–1/5 वां हिस्से का तथा खसरा संख्या 2239/2090 रकबा 0.1375 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/9 वां हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/5–1/5–1/5–1/5 वां हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा